नागरिक विविध

आर.एस. नरूला और एस.एस. संधावालिया के समक्ष, जे.जे.

राम किशन और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

सचिव, सरकार, हरियाणा एवं बाहरी राज्य -

उत्तरदाताओं.

1968 की सिविल रिट संख्या 2076

8 अगस्त 1968

पंजाब सहकारी समिति अधिनियम (XXV f 1961)-पानीपत सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के उपनियम-उपनियम 9(बी) (vii)-व्याख्या अपने उपनियमों के तहत गठित मिलों के निदेशक मंडल कुछ अवधि के लिए कार्य करने में असमर्थ हैं - ऐसी अवधि - क्या एक वर्ष की अवधि से बाहर रखा जाए जिसके अंत में एक तिहाई निदेशक सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं रोटेशन - एक सहकारी समिति के निदेशक मंडल का जीवन - क्या बढ़ाया जा सकता है - भारत का संविधान (1950) - अनुच्छेद 226 - संयुक्त रिट याचिका - क्या रखरखाव योग्य है - सिविल प्रक्रिया संहिता - (1908 का अधिनियम V) -एस। 11—एक रिट याचिकाकर्ता का मुकदमा खारिज—बाद में उसी आधार पर राहत का दावा करने वाली रिट याचिका—वर्जित या नहीं

अभिनिर्धारित, पानीपत सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, पानीपत के उपनियम 9(बी)(vii) में वास्तव में निदेशक के रूप में कार्य करने वाले बोर्ड या उसके सदस्यों का उल्लेख नहीं है, बल्कि इसका केवल संबंध है बोर्ड के गठन की तारीख से शुरू होने वाले समय के बिंदु तक, भले ही बोर्ड या उसका कोई सदस्य अपने गठन के बाद एक वर्ष की पहली अवधि के दौरान या उस एक वर्ष के दौरान किसी भी समय कार्य करने में सक्षम था या नहीं। इसके निर्वाचित सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्यों के पहले बैच को अगले वर्ष की उस तारीख को सेवानिवृत्त होना चाहिए जिस दिन पिछले वर्ष बोर्ड का गठन किया गया था, और बोर्ड के एक-तिहाई सदस्यों के दूसरे समूह को भी उसी तारीख को सेवानिवृत्त होना चाहिए। दूसरे वर्ष में, निर्वाचित सदस्यों के अंतिम एक-तिहाई समूह को छोड़कर, जो मूल रूप से चुने जाने की तारीख के तीन साल के अंत में स्वचालित रूप से निदेशक बनना बंद कर देंगे। जिस समय के दौरान निदेशक मंडल निलंबित रहा होगा या निदेशक या उनमें से कोई भी किसी भी कारण से कार्य करने में सक्षम नहीं रहा होगा, उसे उस अवधि से बाहर नहीं किया जा सकता है या उस अवधि में जोड़ा नहीं जा सकता है जिसके दौरान निदेशक या उपरोक्त उपनियम के तहत विचाराधीन निदेशक पद पर बने रह सकते हैं।

(पैरा 8 और 9)

अभिनिर्धारित कि पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961, या पंजाब सहकारी सोसायटी नियमों या उपनियमों में किसी सहकारी समिति के प्रबंधन बोर्ड के कार्यकाल को बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। समाज ऐसे प्रावधान के अभाव में, समग्र रूप से बोर्ड का कार्यकाल तीन साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

अभिनिर्धारित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक संयुक्त रिट याचिका सुनवाई योग्य है यदि सभी याचिकाकर्ता सामान्य खतरे की आशंका के साथ रिट याचिका दायर करने की तारीख पर समान रूप से उपस्थित हों और अपने संयुक्त दावे के समर्थन में समान मुद्दों को उठाना चाहते हों।

(पैरा 10)

अभिनिर्धारित किया गया कि किसी याचिकाकर्ता के वाद को खारिज करने से वह संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका में उसी आधार पर उसी राहत का दावा करने के लिए अपात्र हो जाता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन याचिका में प्रार्थना की गई है कि 18 जून, 1968 के आदेश और 19/20 जून, 1968 के नोटिस को निरस्त करते हुए प्रमाण पत्र, परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए और उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाए कि जब तक बोर्ड दो वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं करता, तब तक निदेशकों के दूसरे समूह को सेवानिवृत्त करने के लिए लॉट न निकाले।

कुलदिप सिंह, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए।

सी. डी. दीवान, डिप्टी एडवोकेट-जनरल (हरियाणा) प्रत्यर्थी सं. 1 और 2.

मोहिंदर जीत सिंह सेठी अधिवक्ता, प्रत्यर्थी नं. 3. भाल सिंह मलिक, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी नं. 4

निर्णय

न्यायालय का निर्णय नरूला, जे.-द्वारा दिया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन इस याचिका में हमें पानीपत सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, पानीपत, जिला करनाल (जिसे इसके पश्चात् सोसायटी कहा गया है) के उपनियमों के उपविधि 9 (ख) (vii) का अर्थ निकालने का आह्वान किया गया है ताकि यह विनिश्चय किया जा सके कि क्या सरकार द्वारा सोसायटी के निदेशक मंडल के अधिक्रमण की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उक्त अधिक्रमण को अपास्त करने वाले इस न्यायालय के आदेश के साथ समाप्त होने वाली अवधि एक वर्ष की अवधि से अपवर्जित होने के लिए दायी है या नहीं जिसके अंत में एक तिहाई निदेशक बारी-बारी से सेवानिवृत्त होने के लिए दायी हैं। इस याचिका को दायर करने के लिए तथ्य इस प्रकार हैं।

(2) सोसायटी का अंतिम निदेशक मंडल 8 जनवरी, 1966 को चुना गया था। दस निर्वाचित निदेशक थे और तीन सरकार द्वारा नामित किए गए थे। निर्वाचित निदेशकों में से एक तिहाई निदेशक मंडल के गठन के एक वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे, i.e. 7 जनवरी 1967 को। जिन निदेशकों को सेवानिवृत्त होना था, उन्हें बोर्ड की बैठक में लॉट खींचकर चुना जाना था। ऐसी बैठक आयोजित किए जाने से पूर्व बोर्ड को पंजाब सहकारी समिति अधिनियम (1961 का 25) की धारा 27 के अधीन (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) राज्य सरकार के आदेश द्वारा 11 जनवरी, 1967 को और उसके प्रभाव से सोसायटी के निदेशक मंडल के कार्यवाहक अध्यक्ष धरम सिंह राठी (प्रत्यर्थी सं. 4) को टेक चंद, न्यायमूर्ति, दिनांक 29 अगस्त, 1967 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, क्योंकि राज्य सरकार ने याचिका का विरोध नहीं किया था। विद्वत न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के आदेश को दरकिनार करते हुए, निदेशक मंडल का स्थान लेते हुए प्रमाण पत्र की एक रिट जारी की और सोसायटी के निदेशक मंडल को बहाल करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट भी जारी की, जिसे उस रिट याचिका में आक्षेपित आदेश द्वारा हटा दिया गया था। बोर्ड की बहाली पर, निदेशक मंडल के एक तिहाई सदस्यों के पहले समूह को सेवानिवृत्त करने के लिए कार्यवाही की गई, जो 7 जनवरी, 1967 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। उस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए लॉट के परिणामस्वरूप, एक तिहाई निदेशक 18 मार्च, 1968 को सेवानिवृत्त हुए। ये वे निदेशक थे जो सामान्य रूप से 7 जनवरी, 1967 के बाद थोड़े समय के भीतर सेवानिवृत्त हो गए थे।

(3) 20 मई, 1968 को सहकारी समितियों, हरियाणा, चंडीगढ़ के पंजीयक (जिसे इसके पश्चात् पंजीयक कहा जाता है) ने समिति के महाप्रबंधक को एक पत्र (अनुलग्नक 'क') भेजकर सोसायटी को सूचित किया कि सरकार ने अपने विधि विभाग के परामर्श से पंजीयक को सूचित किया है कि समिति के निदेशक मंडल के एक तिहाई सदस्यों की वार्षिक सेवानिवृत्ति की दूसरी किस्त 8 जनवरी, 1968 से देय हो गई है। प्रतिवादी नं. 4 सोसाइटी के उपाध्यक्ष ने सहकारी विभाग में हरियाणा सरकार के सचिव को दिनांक शून्य (अनुलग्नक 'ख' की प्रति) दिनांकित

पत्र भेजा, जिसमें 20 मई, 1968 के रजिस्ट्रार के पत्र की एक प्रति थी, जिसका सरकार को समर्थन किया गया था-जिसमें कहा गया था कि बोर्ड का दूसरा कार्यकाल अभी तक समाप्त नहीं हुआ था क्योंकि बोर्ड ने लगभग 7 महीने (11 जनवरी, 1967 से 29 अगस्त, 1967 तक) की अवधि के लिए सरकार द्वारा इसके अधिक्रमण के कारण केवल एक वर्ष के लिए कार्य किया था और बोर्ड के एक तिहाई सदस्य पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, उस स्तर पर एक तिहाई अन्य के सेवानिवृत्त होने का प्रश्न नहीं उठा था। इसलिए, उपाध्यक्ष ने सरकार से इस मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले उन सभी मामलों की जांच करने के लिए कहा क्योंकि उपाध्यक्ष ने सोसायटी के कानूनी सलाहकार से परामर्श किया था और उनका विचार था कि जिस अवधि के दौरान बोर्ड सुपर-सत्र के तहत रहा था, उसे निर्वाचित निदेशक मंडल के कार्यकाल में नहीं गिना जा सकता था क्योंकि उस दौरान कोई निर्वाचित बोर्ड नहीं था। अंततः 18 जून, 1968 (अनुलग्नक 'ग') के ज्ञापन द्वारा कुलसचिव ने सोसाइटी के महाप्रबंधक को सूचित किया कि 11 a.m. पर 4 जुलाई, 1968 को सोसाइटी के मिलों के परिसर में बोर्ड के एक तिहाई निर्वाचित सदस्यों के दूसरे समूह को सेवानिवृत्त करने के लिए लॉट निकालने के लिए सोसाइटी के निदेशक मंडल की बैठक बुलाए। यह इच्छा थी कि बैठक की सूचना की एक प्रति पंजीयक के कार्यालय को भेजी जाए। पंजाब सहकारी समिति नियम, 1963 के नियम 80 (1) (i) के संदर्भ में एक छोटी सूचना पर बैठक बुलाने की अनुमति भी उसी पत्र में दी गई थी। रजिस्ट्रार के निर्देश के अनुसरण में, महाप्रबंधक (प्रतिवादी नं। 3) बोर्ड के एक तिहाई निर्वाचित सदस्यों के दूसरे समूह की सेवानिवृत्ति के लिए लॉट निकालने के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों को दिनांक 19/20,1968 (अनुलग्नक 'डी') को नोटिस जारी किया। यह रजिस्ट्रार (अनुलग्नक 'सी') के उपरोक्त निर्देश और बैठक के महाप्रबंधक के नोटिस (अनुलग्नक 'डी') को रद्द करने के लिए था कि वर्तमान रिट याचिका राम किशन, चंडी राम और डॉ. परम नंद, सोसायटी के तीन निदेशकों द्वारा 2 जुलाई, 1968 को इस न्यायालय के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान। आदेश के संचालन पर अंतरिम रोक लगाने और बैठक के आयोजन पर रोक लगाने के आवेदन पर, अवकाश लाभ (गोपाल सिंह और तुली, जेजे) 3 जुलाई, 1968 को निदेश दिया गया कि 4 जुलाई, 1968 को बैठक आयोजित की जाए और लॉट तैयार किए जाएं, लेकिन जब तक रिट याचिका मोशन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए नहीं आती, तब तक लॉट के ड्राइंग के परिणाम पर प्रभाव नहीं डाला जा सकता है। जब यह याचिका 1 अगस्त, 1968 को अप्रैल प्रस्ताव की सुनवाई के लिए आई, तो सभी प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व हमारे समक्ष वकील द्वारा किया गया था। सभी पक्ष मामले में शामिल मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के लिए उत्सुक थे। इसलिए, हमने 5 अगस्त, 1968 के लिए मुख्य मामले का नोटिस जारी किया, और हमारे सामने बहस किए जाने वाले बिंदु की नवीनता को देखते हुए और उसी के संदर्भ में इंटीग्रा होने के कारण, हमने याचिका को एक खंड पीठ में स्वीकार कर लिया। स्थगन मामले के संबंध में पक्षों के वकीलों को विस्तार से सुनने के बाद हमने उस आदेश को रद्द कर दिया जो 3 जुलाई, 1968 को अवकाश पीठ द्वारा पारित किया गया था, लेकिन निर्देश दिया कि उन निदेशकों के स्थान पर फिर से चुनाव, जो 4 जुलाई, 1968 को लॉट निकालने के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त हुए थे, रिट याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि तक आयोजित नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी नं. द्वारा दो अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए थे। 2, कुलसचिव और क्रमशः मिलों के महाप्रबंधक द्वारा।

(4) हालांकि रिट याचिका में बड़ी संख्या में मुद्दों को उठाया गया था, हमारे सामने केवल एक मामले पर बहस की गई थी और श्री कुलदीप सिंह, बार-एट-लॉ, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह किसी अन्य मुद्दे पर जोर नहीं दे रहे थे। विद्वत वकील द्वारा दबाया गया एकमात्र विवाद रिट याचिका के पैराग्राफ 14 (ii) में निम्नलिखित शब्दों में निहित हैः –

"उस उप-कानून 9 (बी) (vii) की व्याख्या केवल इस अर्थ में की जा सकती है कि सदस्यों को सेवानिवृत्त करने के लिए दूसरा दल तभी तैयार किया जा सकता है जब बोर्ड ने कार्यालय में दो साल का जीवन पूरा कर लिया हो। जिस अवधि के दौरान निदेशक मंडल को हटा दिया गया था, उसे बोर्ड के जीवन के लिए नहीं गिना जा सकता है और इस संबंध में नियम की सरकारी व्याख्या सही नहीं है और कानून में खराब है और इसे अलग किया जा सकता है।

ग्राउंड नं. (iii) में कुछ अलग भाषा में एक ही बात दोहराई गई है। जिसमें लिखा हैः-"कि जब निदेशक मंडल को हटा दिया जाता है तो सभी निदेशक उसी समय से ऐसे नहीं रह जाते हैं। उन्हें पद से हटा दिया जाता है और समाज के कामकाज पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। उन परिस्थितियों में, जब बोर्ड उपनियम 9 (ख) (vii) के प्रयोजन के लिए पद से बाहर रहा, उस अवधि की गिनती मनमाना और अवैध है।

(5) इस मुद्दे पर श्री कुलदीप सिंह के बहुत संक्षिप्त लेकिन समान रूप से स्पष्ट तर्कों की सराहना करने के लिए, इस स्तर पर सोसायटी के उपनियमों के उपनियम 9 से प्रासंगिक उद्धरणों को निर्धारित करना आवश्यक है। उपनियम 9 "निदेशक मंडल" से संबंधित अध्याय का पहला उपनियम है। उपनियम 9 (ए) में कहा गया है कि निदेशक मंडल में 15 निदेशक शामिल होंगे जिनमें व्यक्तियों के सात प्रतिनिधि, सहकारी संस्थानों के तीन प्रतिनिधि और पांच सरकारी नामित शामिल होंगे। उपनियम 9 (क) का खंड (v) तब पढ़ता हैः –

"उप-कानून सं. के प्रावधानों के बावजूद। 9 (i) (ii) और (iii) पहला निदेशक मंडल सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। बोर्ड अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। पहले निदेशक मंडल को नामित करने में सरकार समय-समय पर जितना उचित लगे उतने निदेशकों की नियुक्ति कर सकती है बशर्ते कि एक समय में पद धारण करने वाले निदेशकों की कुल संख्या 15 से अधिक न हो और अधिकतम अवधि जिसके लिए नामित निदेशक मंडल पद धारण करता है, पहले नामांकन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक न हो। इन शर्तों के अधीन, सरकार के पास नामित निदेशक मंडल में ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति होगी जो वह समय-समय पर आवश्यक समझे। नामित निदेशक मंडल एक अध्यक्ष का चुनाव करेगा, और यदि आवश्यक हो तो एक उपाध्यक्ष और एक सचिव भी चुनेगा। किसी भी व्यवसाय के संचालन के लिए कम से कम एक तिहाई निदेशकों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(6) उपर्युक्त खंड "प्रथम निदेशक मंडल" के गठन को नियंत्रित करता है जिसे सरकार द्वारा नामित किया जाना है। जिस निदेशक मंडल से हम संबंधित हैं, वह निश्चित रूप से सोसायटी का पहला बोर्ड नहीं था। इसका गठन व्यक्तियों के सात प्रतिनिधियों और सहकारी संस्थानों के तीन प्रतिनिधियों के चुनाव और सरकार द्वारा शेष निदेशकों के नामांकन द्वारा किया गया था। हालाँकि, खंड को उद्धृत किया गया है क्योंकि तर्क के दौरान इसका संदर्भ दिया गया है।

उपनियम 9 (ख) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि "सरकार द्वारा नामांकन की अवधि समाप्त होने पर, सरकारी प्रतिनिधियों को छोड़कर निदेशक मंडल का चुनाव किया जाएगा।" फिर उपनियम 9 (ख) के खंड (vii) का अनुसरण किया जाता है जिसके इर्द-गिर्द इस मामले में पूरा विवाद घूमता हैः—■

"सरकारी प्रतिनिधियों को छोड़कर निदेशक बारी-बारी से सेवानिवृत्त होंगे, एक तिहाई निदेशक वार्षिक रूप से सेवानिवृत्त होते हैं। पहले दो वर्षों के लिए, सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों का चयन कास्टिंग लॉट द्वारा किया जाएगा। सेवानिवृत्त निदेशक चुनाव के लिए पात्र हैं।

निदेशक मंडल से संबंधित अध्याय में उपनियम 9 के अन्य खंड और अन्य उपनियम न तो इस मामले पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक हैं और न ही इस याचिका की सुनवाई में इसका कोई संदर्भ दिया गया है।

(7) यह पक्षकारों का सामान्य मामला है कि उपनियमों द्वारा प्रदत्त निदेशक मंडल का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष है, और यह कि कोई न्यूनतम अवधि जिसके दौरान निदेशकों को पद धारण करना चाहिए, किसी भी उपनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है। हमें किसी भी संभावित अंतर के बारे में कोई तर्क नहीं दिया गया है, जो उस तारीख में दिया गया हो सकता है, जिस पर एक तिहाई निदेशकों के दूसरे समूह को एक तिहाई निदेशकों के पहले समूह की वास्तविक सेवानिवृत्ति से 18 मार्च, 1963 को सेवानिवृत्त होना था, इसके बजाय जनवरी, 1967 में इसका जोरदार तर्क दिया गया है कि उपनियम 9 (बी) के खंड (vii) में "वार्षिक" शब्द बारह महीने की अवधि के अंत को संदर्भित करता है, जिसके दौरान निदेशक काम कर रहे हैं। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का तर्क (प्रत्यर्थी सं. 4) यह है कि "वार्षिक" उस तारीख से शुरू होने वाले पहले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत को संदर्भित करता है जिस दिन निदेशक मंडल का चुनाव द्वारा गठन किया जाता है। श्री

कुलदीप सिंह प्रस्तुत करते हैं कि संबंधित उपनियम का उद्देश्य यह है कि बोर्ड के निदेशकों को वास्तव में तीन वर्षों के लिए कार्य करना चाहिए और निदेशकों के वास्तविक कार्य के प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर, एक तिहाई को सेवानिवृत्त होना चाहिए। दूसरी ओर, प्रतियोगी प्रत्यर्थियों का तर्क है कि निदेशकों का वास्तविक कार्य संगत उपनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए सुसंगत नहीं है और उसमें निर्दिष्ट अवधि की मात्र गणितीय गणना उस समय से शुरू की जानी चाहिए जब निर्वाचित बोर्ड का गठन किया जाता है। हमारे सामने उपस्थित विद्वान वकील द्वारा बार में दोनों प्रस्तावों में से किसी के समर्थन में किसी भी प्राधिकरण का उल्लेख नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दावा किया गया था कि 7 जनवरी, 1968 को सेवानिवृत्त होने के बजाय, बोर्ड के निदेशकों की एक तिहाई संख्या का दूसरा समूह अगस्त, 1968 के अंत में या उसके आसपास सेवानिवृत्त होने वाला है। i.e., 7 जनवरी, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि में जोड़कर, वह अवधि जिसके दौरान बोर्ड राज्य सरकार के एक कथित आदेश के तहत निलंबित रहा। श्री मोहिंदरजीत सिंह सेठी, प्रतिवादी नं. 3, जिसने प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रत्यर्थियों की ओर से मुख्य तर्क को बड़ी क्षमता के साथ संबोधित किया, ने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में अधिक्रमण की अवधि को अधिक्रमण के आदेश के रूप में ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, जिसे बाद में उच्च न्यायालय द्वारा अवैध होने के रूप में रद्द कर दिया गया था, इसे शून्य के रूप में माना जाना चाहिए और इस स्थिति के परिणामस्वरूप, बोर्ड को उस अवधि के दौरान कार्य करना जारी रखा जाना चाहिए जिसके दौरान यह वास्तव में कार्य नहीं करता था।

(8) पक्षकारों के विद्वत वकील को लंबे समय तक सुनने के बाद न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि जैसा उपविधि बनाई गई है, वह वास्तव में निदेशक के रूप में कार्य करने वाले बोर्ड या उसके सदस्यों को संदर्भित नहीं करती है, बल्कि इसका संबंध केवल बोर्ड के गठन की तारीख से शुरू होने वाले समय के बिंदु से है, चाहे बोर्ड के रूप में ऐसा या इसका कोई सदस्य अपने गठन के बाद एक वर्ष की पहली अवधि के दौरान या उस एक वर्ष के दौरान किसी भी समय कार्य करने में सक्षम था या नहीं। इसके निर्वाचित सदस्यों के एक-तिहाई के पहले समूह को अगले वर्ष की तारीख को सेवानिवृत्त होना चाहिए जिस पर पिछले वर्ष बोर्ड का गठन किया गया था, और बोर्ड के एक-तिहाई सदस्यों के दूसरे समूह को इसी तरह दूसरे वर्ष में उसी तारीख को सेवानिवृत्त होना चाहिए, निर्वाचित सदस्यों के अंतिम एक-तिहाई समूह को छोड़कर जो मूल रूप से चुने जाने की तारीख से तीन साल के अंत में स्वचालित रूप से निदेशक नहीं रह जाएंगे। विचाराधीन उप-कानून का कोई अन्य निर्माण, हमारी राय में, विसंगतियां पैदा करेगा और इसके परिणामस्वरूप बेतुकेपन पैदा होगा, जिससे कानूनों की व्याख्या के तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार बचा जाना चाहिए। श्री कुलदीप सिंह का यह तर्क कि जिन निदेशकों को बिना किसी गलती के दो वर्ष तक कार्य करने का अवसर नहीं मिला था, उन्हें सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उन्हें दूसरे समूह के निदेशकों की सेवानिवृत्ति के लिए लॉट खींचकर कार्य करने का अवसर न मिल जाए, जिन्हें बारी-बारी से सेवानिवृत्त होना है। यदि सभी निर्वाचित निदेशकों को सोसायटी के निदेशकों के रूप में ड्यूटी पर किसी वाहन से यात्रा करते समय दुर्घटना का सामना करना पड़ा और उन्हें एक वर्ष के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाना था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि पहले वर्ष के अंत में कोई सेवानिवृत्ति नहीं होगी। यदि ऐसी दुर्घटना दो वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद होती है, तो मूल रूप से गठित बोर्ड के समूह का अंतिम शेष एक-तिहाई यह दावा नहीं कर सकता है कि बोर्ड का अधिकतम जीवन, जहां तक यह उन्हें प्रभावित करता है, तीन के बजाय चार वर्ष तक बढ़ाया गया है। इसी प्रकार, हमारी राय में, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि यदि किसी भी संयोग से, निदेशक जिन्हें विचाराधीन उप-कानून के तहत सेवानिवृत्त होना है, कुछ महीनों के दौरान अवैध निरोध या कारावास में रहे हैं और उनकी नजरबंदी या कारावास को बाद में एक सक्षम अदालत द्वारा अवैध और शून्य घोषित किया गया है, तो वे संभवतः बोर्ड के पहले वर्ष या दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष की अवधि से परे उस सीमा तक अतिरिक्त अवधि के लिए पद पर रहने का दावा कर सकते हैं। संविधान में राज्य विधानमंडल का जीवनकाल पाँच वर्ष निर्धारित किया गया है। हो सकता है कि किसी राज्य की विधायी सभा के सदस्यों को राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण उन पाँच वर्षों में से एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया हो, हमारी राय में, पाँच वर्षों के अंत में यह दावा नहीं किया जा सकता है कि उस राज्य में आम चुनाव एक और वर्ष के लिए नहीं होंगे, और उन्हें पद पर बने रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने अभी तक M.L.A.s के रूप में वास्तविक कार्य के पाँच वर्ष पूरे नहीं किए हैं। फिर भी यह श्री

कुलदीप सिंह के तर्क को स्वीकार करने का परिणाम होगा। हरियाणा राज्य में सहकारी समिति के प्रबंधन बोर्ड के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए न तो अधिनियम में कोई प्रावधान है और न ही नियमों में और न ही उपनियमों में भी। इस तरह के प्रावधान के अभाव में, समग्र रूप से बोर्ड का कार्यकाल तीन साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। फिर भी यह परिणाम होगा यदि बोर्ड को उसके गठन के तीसरे वर्ष में प्रतिस्थापित किया जाना था और आठ महीने के लिए अधिनिर्णय के तहत रहना था, और फिर अधिनिर्णय के आदेश को उस तारीख को अलग रखा जाना था जब बोर्ड के गठन के बाद से तीन साल से अधिक समय बीत चुका हो। श्री कुलदीप सिंह द्वारा प्रस्तावित उपविधि के निर्माण का प्रभाव यह होगा कि बोर्ड का कार्यकाल या कम से कम इसका एक हिस्सा उपविधि में दी गई अधिकतम तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति तक नहीं पहुंचेगा। श्री सेठी ने आगे तर्क दिया कि उन सदस्यों को कोई कठिनाई नहीं होगी, जिन्हें वास्तव में पूरे वर्ष या दो वर्षों तक काम किए बिना उप-कानून 9 (बी) (vii) के सख्त निर्माण के अनुसार बारी-बारी से सेवानिवृत्त होना पड़ सकता है, क्योंकि वे फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। मेरी राय में, हमारा निर्णय केवल कठिनाई या कठिनाई के अभाव के तर्क से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

(9) जब विधि (9 (ख) (vii) ii यह अपेक्षा करता है कि निदेशकों में से एक-तिहाई को प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होना चाहिए, तो इसका अर्थ है कि एक-तिहाई को प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होना चाहिए। संदर्भ में प्रत्येक वर्ष का अर्थ है प्रत्येक वर्ष के अंत में। यह हमें इस सवाल की ओर ले जाता है कि वर्ष किस समय से शुरू होता है। एकमात्र संभावित उत्तर यह है कि पहले एक-तिहाई सदस्यों के लिए बोर्ड के अस्तित्व में आने की तारीख से एक वर्ष, और दूसरे के लिए उसी तारीख से दो वर्ष, और बोर्ड के शेष एक-तिहाई निर्वाचित सदस्यों के लिए उक्त तिथि से तीन वर्ष। वर्ष, निश्चित रूप से, खगोलीय वर्ष से अलग नागरिक वर्ष होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से उप-कानून पर रखा जाने वाला निर्माण अकल्पनीय अनिश्चितताओं और संभावित बेतुकी बातों को जन्म देगा, जिनमें से कुछ का संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है। "वार्षिक" को पृष्ठ 3357 पर स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश, खंड 4 में "केवल गणना का एक शब्द" के रूप में वर्णित किया गया है। श्री कुलदीप सिंह द्वारा प्रचार किए गए निर्माण जैसा कोई भी निर्माण शुद्ध गणना के मामले में प्रवेश नहीं करता है। देव में। श्र्यूसबरी बनाम विल्सन (1) का उल्लेख चित्रण सं। 5 स्ट्रौड्स ज्यूडिशियल डिक्शनरी, खंड 4 के पृष्ठ 3358 पर "वार्षिक" शब्द के अर्थ के तहत, "वार्षिक रूप से देय" शब्दों का अर्थ वही माना जाता था जैसे कि शब्द "हर साल देय" थे। "वार्षिक" का अर्थ है वर्ष में एक बार। कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम, खंड 101 में, पृष्ठ 646 पर, "वार्षिक" को "हर साल अर्जित या आने वाला; वार्षिक" व्यक्त करते हुए दिखाया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले निर्माण के अनुसार "वार्षिक" का अर्थ कुछ परिस्थितियों में "एक वर्ष से अधिक के बाद" हो सकता है, और हर वर्ष के दौरान नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि उपनियम की इस तरह की व्याख्या के लिए कोई वारंट नहीं है। इसलिये हमारा यह मत है कि सोसाइटी के उपनियम के उपनियम 9 (ख) (vii) के अनुसार उसके प्रबंधन बोर्ड के निर्वाचित निदेशकों में से एक तिहाई को प्रथम वर्ष के अंत में और अन्य एक तिहाई को निर्वाचित बोर्ड के गठन की तारीख से दो वर्ष के अंत में सेवानिवृत्त होना चाहिए और शेष एक तिहाई स्वचालित रूप से उपरोक्त तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति पर निदेशक नहीं रहेंगे। हम यह भी मानते हैं कि जिस अवधि के दौरान निदेशक मंडल निलंबित रहा होगा या निदेशक या उनमें से कोई भी किसी भी कारण से कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकता है, उसे उस अवधि से बाहर नहीं किया जा सकता है या उसमें जोड़ा नहीं जा सकता है जिसके दौरान निदेशक या निदेशक उपरोक्त उपनियम के तहत पद पर रह सकते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले में प्रचार किया गया एकमात्र विवाद विफल हो जाता है।

(10) श्री मोहिन्दरजीत सिंह सेठी के प्रति तथ्यात्मक निष्पक्षता में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उन्होंने इस रिट याचिका की विचारणीयता पर कुछ प्रारंभिक आपत्तियां उठाई हैं, जिसका हम निर्णय के अंतिम छोर पर उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि हम पक्षों के वकील को गुणदोष पर विस्तार से सुनने के बाद प्रश्न को अनिश्चित छोड़ देना उचित नहीं समझते हैं। हम श्री सेठी की इस आशय की पहली आपत्ति में अधिक बल नहीं पाते हैं कि इस

मामले की परिस्थितियों में, तीनों याचिकाकर्ताओं को संयुक्त रिट याचिका बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि तीनों याचिकाकर्ता रिट याचिका दायर किए जाने की तारीख को समान रूप से स्थित थे, और सामान्य खतरे की आशंका थी और अपने संयुक्त दावे के समर्थन में समान मुद्दों को उठाना चाहते थे। हालाँकि, श्री सेठी द्वारा दबी गई अन्य दो आपत्तियों में बल है। उन बिंदुओं को तय करने के लिए, एक अतिरिक्त तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 4 जुलाई, 1968 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में तैयार किए गए लॉट के परिणामस्वरूप, बाम किशन याचिकाकर्ता नं। 1, धरम सिंह राठी, प्रतिवादी नं। 4, और एक राम चंदर, जो पहले मामले में पक्षकार नहीं था, को दूसरे बैच में सेवानिवृत्त होने के लिए लॉट खींचकर चुना गया था। श्री सेठी की आपत्ति यह है कि सेवानिवृत्ति के लिए लॉट याचिकाकर्ता संख्या पर नहीं पड़ा है। 2 और 3, उनका आवेदन निष्फल हो गया है, और उन्हें इस याचिका को बनाए रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसके तहत दावा की गई एकमात्र राहत आदेश अनुलग्नक 'सी' को रद्द करना और अनुलग्नक 'डी' को नोटिस करना था, यह विशुद्ध रूप से अकादमिक प्रश्न के निर्णय पर शुरू होगा, यदि उनकी रिट याचिका को अब गुण-दोष पर सुनवाई की अनुमति दी गई थी। श्री सेठी की दूसरी आपत्ति का यह भाग याचिका के लिए वास्तव में घातक नहीं हो सकता है क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं संख्या 2 और 3 के लिए रिट याचिका में प्रार्थना खंड में संशोधन करने के लिए खुला होता ताकि यह दावा किया जा सके कि बोर्ड के गठन की तारीख से तीन साल के अंत में, वे सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे क्योंकि वे उस समय की पूर्ति के लिए 1 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए पद पर बने रहने के हकदार होंगे, जिसके दौरान वे सरकार द्वारा निदेशक मंडल के अतिक्रमण के अवैध आदेश के कारण कार्य नहीं कर सकते थे। यह आपत्ति का अगला भाग है जिसका, हमारी राय में, कोई उत्तर नहीं हो सकता है। यह बताया गया कि राम किशन याचिकाकर्ता नं। 1 ने सोसायटी और उसके उपाध्यक्ष के खिलाफ 2 जुलाई, 1968 को अधीनस्थ न्यायाधीश, करनाल के न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि मुकदमे में प्रतिवादियों को अन्य बातों के साथ-साथ रजिस्ट्रार के निर्देश के अनुसरण में सोसायटी के निदेशकों को सेवानिवृत्त करने से रोका जाएः "कि बोर्ड का स्थान लिया गया और 11 जनवरी, 1967 से 29 अगस्त, 1967 तक कार्य नहीं किया, और कानूनी रूप से इस अवधि की गणना निदेशकों को सेवानिवृत्त करने की अवधि निर्धारित करने के उद्देश्य से नहीं की जा सकती है। [वाद के पैरा 7 का खंड (घ) जिसकी प्रमाणित प्रति इस मामले के अभिलेख पर प्रत्यर्थियों द्वारा दाखिल की गई है]। यह कहा जाता है कि वाद के लंबित रहने के दौरान अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन राम किशन, याचिकाकर्ता नं। 1 सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39, नियम 1 और 2 और धारा 151 के अधीन 2 जुलाई, 1968 को उस वाद के वाद के साथ। आवेदन की एक प्रमाणित प्रति भी तैयार की गई है। 4 जुलाई, 1968 के अपने विस्तृत आदेश द्वारा, अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, कमल ने वाद में वादी की दलीलों पर विचार करने के बाद अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें वह बिंदु भी शामिल है जिस पर हमें इस रिट याचिका में संबोधित किया गया है। जैसे ही अस्थायी निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर दिया गया, राम किशन वादी ने अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष एक बयान दिया कि वह मुकदमा वापस लेना चाहता है और तदनुसार विद्वत अधीनस्थ न्यायाधीश ने 4 जुलाई, 1968 को मुकदमे में निम्नलिखित अंतिम आदेश पारित कियाः -"वादी के उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए, वाद को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया जाता है।"

(11) यह स्वीकार किया जाता है कि कार्रवाई के एक ही कारण पर एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति राम किशन द्वारा या तो मांगी गई थी या अदालत द्वारा दी गई थी। इन तथ्यों ने दो आपत्तियों को जन्म दिया है। सबसे पहले, यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता एक भौतिक तथ्य को छिपाने के दोषी हैं क्योंकि उन्होंने 2 जुलाई, 1968 को इस रिट याचिका को दायर करने के समय दीवानी मुकदमा दायर करने के तथ्य को इस न्यायालय से वापस रखा था। श्री कुलदीप सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता सं. 2 और 3 को इसकी जानकारी नहीं थी, और राम किशन ने अनजाने में वाद के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया, हालांकि वह संभवतः इस बारे में कुछ भी नहीं लिख सकते थे कि 4 जुलाई, 1968 को वाद में क्या हुआ था, 2 जुलाई को रिट याचिका दायर करने के बाद। जो भी हो, यह प्रतिवाद किया जाता है कि दरयाओ और अन्य बनाम U.P. राज्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अधिकार पर और अन्य और फूल चंद में, शर्मा और अन्य बनाम चंद्र शंकर पाठक और अन्य,

याचिकाकर्ता नं. 1 को यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका में समान आधारों पर समान राहत का दावा करने का अधिकार नहीं है और यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 और 1 के सिद्धांतों पर है। मुझे लगता है कि श्री सेठी की इस आपत्ति में बहुत ताकत है। याचिकाकर्ता राम किशन ने, किसी भी स्थिति में, इस मामले की परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद-226 और 227 के तहत इस न्यायालय से किसी भी राहत का दावा करने के लिए खुद को उसी आधार पर खारिज कर दिया है, जिस आधार पर उन्होंने मुकदमा दायर किया था, जिसे उन्होंने स्वेच्छा से खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं के एकमात्र विवाद को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष के आधार पर, श्री सेठी की इन आपत्तियों पर आगे विचार करना आवश्यक नहीं है।

(12) पूर्वगामी कारणों से, यह रिट याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामले में उठाया गया मुख्य प्रश्न कुछ नवीन था और किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपत्यों की घोषणा के दायरे में नहीं आता है, हम निर्देश देते हैं कि पक्षकार इस मामले का खर्च वहन करेंगे जैसा कि उन्होंने वहन किया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकांक्षा सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

सोनीपत(हरियाणा)